दिनांक 30-05-2017 को यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश के निर्वतमान प्रान्तीय अध्यक्ष श्री सेलक राम चौधरी एवं श्री कमलदीप यादव, कोषाध्यक्ष उपस्थित हुए, उनके द्वारा बिन्दुवार मांग पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया और बिन्दुवार मांग पत्र पर विचार किया गया जो निम्न प्रकार है:-

क्रम सख्या	बिन्दुवार मांग	अपेक्षित कार्यवाही
1	विभाग में रिक्त सभी पदों पर क्रमशः(प्रशासनिक अधिकारी,प्रधान सहायक, वरिष्ठ सहायक) की डी0पी0सी0 शीघ्र कराई जाए।	स्था-5(ख) पटल को निर्देशित कर दिया गया है कि तीनों पदों के रिक्तियों की गणना करके डी0पी0सी0 की तिथि निश्चित कराई जाये। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय / स्था-5ख पटल**
2	वित्तीय वर्ष 2016-17 समाप्त हुए लगभग दो माह व्यतीत हो चुके है परन्तु अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टियां (पूरे प्रदेश में) अभी तक नहीं दी गई हैं।	स्था-6 सामान्य पटल को निर्देशित किया गया कि सभी कर्मचारियों की प्रविष्टियाँ पूर्ण कराये जाने हेतु समस्त जोन एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) /समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को परिपत्र जारी किया जाये। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय / स्था-6सामान्य पटल**
3	मुख्यालय द्वारा जारी वार्षिक स्थानान्तरण नीति में क्रम सं0 19 के उपबिन्दु ग में कर निर्धारण कार्यालयों में तैनाती अवधि की समय सीमा तीन वर्ष निर्धारित की गयी है। जब की पूर्व में कर निर्धारण अवधि को 05 वर्ष मानते हुए स्थानान्तरण होते रहे हैं। यदि 03 वर्ष मानते हुए स्थानान्तरण किए जाएंगे तो मुख्यालय/ शासन के आदेशों की स्पष्ट अवहेलना होगी। शासन द्वारा 20 प्रतिशत स्थानान्तरण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। 03 वर्ष अवधि से लगभग 80 प्रतिशत स्थानान्तरण होने की प्रबल सम्भावना रहेगी। जिससे अनावश्यक अव्यवस्था होगी।	शासन के आदेश का पालन किया जायेगा। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
4	संघ के संज्ञान में आया है कि वार्षिक स्थानान्तरण नीति का अनुपालन केवल मिनि0 संवर्ग पर ही किया जाता है अन्य संवर्गों पर नीति का पालन नहीं किया जाता है। अतः स्थानान्तरण नीति का अनुपालन सभी संवर्गों पर समान रुप से लागू की जाए।	शासन / विभागीय स्थानान्तरण निति के तहत जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जायेगा उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
5	फर्जी शिकायतों / बिना पते की शिकायतों को संज्ञान लेकर कार्यवाहियां की जा रही हैं जबकि शासन द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक शिकायतकर्ता शपथ पत्र न दें व स्वंय उपस्थित न हो एवं शिकायतकर्ता की पुष्टि न हो जाए तब तक कोई कार्यवाही न की जाए।	फर्जी शिकायतों के सम्बन्ध में स्था-6 सामान्य पटल को निर्देशित किया गया कि वह समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर (कार्यपालक) / समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को परिपत्र जारी कराये। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय / स्था-6सामान्य पटल**
6	चन्दौसी/ गजरौला मुरादाबाद के कार्यालयों को अंयत्र कहीं	ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति) वाणिज्य कर मुख्यालय से

	स्थानान्तरित करने के निर्देश मुख्यालय /शासन द्वारा विगत कई वर्षों पूर्व दिए जा चुके है परन्तु आज तक कार्यालय को शिफट नहीं किया जा सका है जब कि चन्दौसी कार्यालय की स्थिति बहुत जर्जर स्थिति में है कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है।	ज्ञात कर सूचित किया जायेगा। **कार्यवाही ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।**
7	खण्ड कार्यालयों में प्रत्येक वर्ष फाईलें बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं। जिससे कर्मचारियों को बैठने तक में दिक्कतें आती हैं। अतः जी0एस0टी0 लगने से पूर्व फाईलों को स्टोर रुम में रखरखाव जरुरी है।	कन्साईनमेन्ट एवं बीडिंग का कार्य नहीं हुआ है जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है नियमानुसार बीडिंग किये जाने के निर्देश दिये जाये। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
8	मॉडुलर कार्यालयों का निर्माण कराया जाए।	मॉडुलर कार्यालयों के निर्माण के लिए धनराशि की मांग की गई है परन्तु वित्त विभाग द्वारा धनराशि निर्गत होने पर किया जायेगा। **ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति) वाणिज्य कर मुख्यालय।**
9	मुख्यालय द्वारा नव नियुक्त कर्मचारियों को पुनः टंकण परीक्षा देने हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं, जबकि आयोग द्वारा इनकी टंकण की परीक्षा लेने के उपरान्त ही नियुक्ति की गयी है पुनः परीक्षा लेना उचित नहीं है।	स्थानीय मण्डल प्रशिक्षण केन्द्र भेजकर इनका प्रशिक्षण कराया जाये। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
10	वैट लगने के उपरान्त अधिकारियों का कैडर पूर्ण रुप से लागू किया जा चुका है किन्तु कर्मचारियों का कैडर अभी तक लागू नहीं हो पाया है। वरिष्ठ सहायक से प्रधान सहायक का कैडर लागू किए जाने हेतु पत्रावली शासन को प्रेषित की गयी थी। शासन द्वारा कुछ आपत्ति लगाकर मुख्यालय को वापस कर दी गयी है। कृपया आपत्ति का निराकरण कराकर शासन को प्रस्ताव भिजवाने की कृपा करें।	स्था-6 सामान्य को आपत्ति का निराकरण कराकर शासन को प्रस्ताव भेजने हेतु निर्देशित किया गया। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय।**
11	अधिकांशतः विभागीय भवन किराये पर चल रहे है। निजी भवन हेतु कार्यवाही कराने की कृपा करें।	ज्वाइन्ट कमिश्नर (सम्पत्ति) वाणिज्य कर मुख्यालय को भूमि चिन्हित करने के लिए जिलाधिकारियों को पत्र प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया है। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
12	सर्वर के डाऊन होने/स्पीड कम होने की आए दिन दिक्कतें होती रहती है, जिससे कर्मचारियों को आर0सी0 जनरेट करने में कठनाई होती है। यदि सर्वर में दिक्कत हो तो मैनुअली आर0सी0 कराने हेतु निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।	इस सुझाव को आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित किया जा रहा है। **कार्यवाही ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0) वाणिज्य कर मुख्यालय।**
13	शासन/ मुख्यालय द्वारा एसोसिऐशन के अध्यक्ष / मंत्री के संगठन में पद धारित करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि तक स्थानान्तरण न किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। पटल परिवर्तन को भी अधिकारी उक्त व्यस्था के अन्तर्गत मानते हुए स्थानान्तरण नहीं करते हैं। जब कि	पटल परिवर्तन किये जाने हेतु समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया जाये। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) वाणिज्य कर उत्तर**

	जिले से बाहर स्थानान्तरण किए जाने पर यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए।	प्रदेश।
14	आर03 आर027/आर0 5ए/बी ऑनलाईन जारी करने के निर्देश मुख्यालय द्वारा जारी किए गए हैं परन्तु आज भी ऑनलाईन के अतिरिक्त मैनुअली भी रखवाये जा रहे हैं।	समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए स्था-6 सामान्य को निर्देशित किया गया है। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय।**
15	बायोमैट्रिक मशीन में उपस्थिति कर्मचारियों के साथ अधिकारियों की भी अनिवार्य कराई जाए।	कमिश्नर महोदय से वार्ता करने के पश्चात निर्देश प्रसारित किये जायेंगे।
16	राजस्व हित में विभाग की पुरानी गाड़ियां की निलामी कराई जाए। कार्यालय में पुरानी गाड़िया खड़ी हुई हैं। जिससे राजस्व की क्षति हो रही है।	पुरानी गाड़ियों की निलामी कराये जाने के लिए वाहन पटल को निर्देशित किया गया समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर को परिपत्र जारी करायें। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय।**
17	पुराना फर्नीचर/ पुरानी लमारियां आदि की निलामी कराई जाए।	पुराना फर्नीचर/ अलमारियाँ जो उपयोग के लायक नहीं है उनकी निलामी कराई जाये। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
18	जिलों / जोनों से कर्मचारियों की वार्षिक प्रतिष्टियां मुख्यालय भिजवाई जाती है उसके उपरान्त भी बार-बार प्रविष्टयां मांगी जाती है। कृपया इनका रिकार्ड सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी के कार्यालय में रखे जाने हेतु निर्देश निर्गत करने की कृपा करें।	क्यों यह परिवर्तन किया गया था पर टिप्पणी प्रस्तुत की जाये। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय /स्था-6 सामान्य पटल।**
19	सम्पूर्ण प्रदेश में भीषण गर्मी/ लू से प्रभावित है परन्तु कर्मचारियों के कार्यालयों में पर्याप्त मात्रा में कूलर की व्यवस्था नहीं है।	सीमित संसाधनों के अतंर्गत आवश्यकतानुसार आर0ओ0 और वॉटर कूलर की व्यवस्था की जा रही है। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
20	मेडीकल क्लेमों को सी0एम0ओ0 द्वारा परीक्षणोउपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित करने पर भी आपत्तियां लगाई जाती हैं। जो कि उचित नहीं है।	समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को स्वयं भी निगरानी रखने के लिए निर्देश जारी किये जा रहे हैं। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
21	मुरादाबाद में कार्यरत 04 कर्मचारियों की फर्जी /फर्जी नाम पते के आधार पर शिकायतें की गयीं, जिसपर जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वा0क0 मुद0 द्वारा शासनादेश की व्यवस्था के अनुरुप निक्षेप की संस्तुति भी कर दी गई फिर भी मुख्यालय से गोपनीय जांच कराने के निर्देश जारी किए गए । इस शिकायत में 04 कर्मचारियों की शिकायतें थीं परन्तु मुख्यालय से केवल एक कर्मचारी श्री कमलदीप को टारगेट कर पत्र जारी किया जा रहा है। जोकि उचित	नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

	नहीं है।	
22	जी0एस0टी0 में प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी व्यस्त है, मुख्यालय द्वारा निरीक्षण लगाये गए हैं। कृपया निरीक्षण स्थगित कराने की कृपा करें।	निरीक्षण के समय इस बिन्दु का ध्यान रखा जायेगा।
23	कुछ कर्मचारियों / पदाधिकारियों के स्थानान्तरण बिना जांच के आदेश कर दिए गए हैं। जिससे कर्मचारियों में भारी रोष उत्पन्न हो गया है। कृपया सम्बन्धितों के स्थानान्तरण निरस्त किए जाए।	स्थानान्तरण सामान्य प्रक्रिया है।
24	विकलांग कर्मचारियों को मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 03 प्रतिशत कोटा अनुमन्य कर दिया गया है। विकलांग कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र कराई जाए।	कतिपय पदों पर पदोन्नति कर दी गयी है शेष हेतु शासन को आदेश निर्गत करने हेतु लिखा गया है। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय।**
25	विभाग पूर्ण रुप से ऑनलाईन हो चुका है फिर भी बार-बार एक ही स्टेटमेन्ट कारे मैनुअली मांगा जाता है, जिससे कर्मचारियों का अनावश्यक समय बर्बाद होता है।	समस्त विवरण प्राप्त होने के पश्चात ही मैनुअल कार्य रोका जा सकेगा। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**
26	श्री निखिल कुमार कनिष्ठ सहायक का स्थानान्तरण फैजाबाद से नजीबाबाद मुरादाबाद किया गया था, ट्रेजरी से डाटा डीलीशन की दिक्कत से लगभग 06 माह अधिक से वेतन भुगतान नहीं हो पाया है।	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर फैजाबाद को पत्र प्रेषित किया जाये उसकी प्रति एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 वाणिज्य कर मुरादाबाद को भी भेजी जाये। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय /स्था-4(ख) पटल (आज ही)**
27	श्री हर्ष बर्द्धन चौहान कनिष्ठ सहायक जो कि ज्येष्ठता सूची में क्रमांक 2813 पर अंकित है, की पदोन्नति न करते हुए बाद ज्येष्ठता सूची में क्रमांग संख्या 2816 पर अंकित श्री पंकज सिंह की पदोन्नति कर दी गई है।	स्था-5(ख) पटल को श्री हर्ष बर्द्धन सिंह चौहान कनिष्ठ सहायक की ज्येष्ठता सूची से सम्बन्धित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिये गये। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय /स्था-5(ख) पटल**
28	मुख्यालय से मण्डल कार्यालय एवं मंण्डल से मुख्यालय लखनऊ स्वेच्छा से चाहने वाले कर्मचारियों के स्थानान्तरण कर दिए जाएं।	मुख्यालय से मण्डल कार्यालय एवं मण्डल कार्यालय से मुख्यालय चाहने वाले कर्मचारियों के प्रार्थना पत्र पर विचार किया जायेगा। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय /स्था-5(ख) पटल**
29	कुछ नव नियुक्त कर्मचारियों की तैनाती गृह जनपदों से काफी दूर रह गयी है, सब अल्पवेतन भोगी कर्मचारी हैं। अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों की तैनाती अधिकांशतः गृह जोन/ जिलों में करने की कृपा करें।	कार्य सरकार का प्रभावित हुये बिना ही सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा सकेगा। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय /स्था-5(ख) पटल**
30	प्रान्तीय संघ के लिए मुख्यालय पर एक कक्ष आवंटित कर दी जाए।	प्रान्तीय संघ के लिए मुख्यालय पर एक कक्ष आंवटित किये जाने के सम्बंध में विचार किया जायेगा। **कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय /नाजिर मुख्यालय।**
31	विभागीय आवसीय भवन जर्जर स्थिति में हैं। मरम्मत कराई जाए तथा शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में कर्मचारियों को मालिकाना हक दिलवाया जाए।	सीमित संसाधनों के अंतर्गत विभागीय आवसीय भवन को मरम्मत कराये जाने के लिए निर्देश जारी कर दिये गये हैं। **कार्यवाही समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ समस्त**

		ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)/वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश /ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति) वाणिज्य कर मुख्यालय।
32	संघ के संज्ञान में आया है कि अधिकांशतः कार्यालयों में पीने के शुद्ध पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है।	समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/ ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक) उत्तर प्रदेश को कार्यालयों में आर0ओ0 की व्यवस्था किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया जा रहा है। कार्यवाही डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय /नाजिर मुख्यालय।

(अनूप कुमार)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पत्र संख्या-स्था-6 सामान्य प्रान्तीय संघ से वार्ता/2017-18// 1383 //वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश
(स्था0अराज0 अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक// 07 जून// 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
2- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।
3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सम्पत्ति/आई0टी0)वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
4- समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
5- डिप्टी कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर मुख्यालय लखनऊ।
6- निर्वतमान प्रान्तीय अध्यक्ष यू0पी0 वाणिज्य कर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेशन, उत्तर प्रदेश।
7- पटल सहायक स्था-5ख /स्था-6 सामान्य/स्था-5क/वाहन पटल/स्था-4ख/नाजिर मुख्यालय वाणिज्य कर को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए।

(प्रवीण वर्मा)
असिस्टेन्ट कमिश्नर(स्था0अराज0) वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश लखनऊ।